

नीलाम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत सहारनपुर में प्रचलित ग्रामीण क्षेत्र की नदी, नालो, पोखर आदि से रेत, पत्थर, बजरी आदि को व्यवसायिक दृष्टि से ले जाने एवं एकत्रित करने वाले वाहनों आदि को नियन्त्रित एवं विनियमित करने सम्बन्धी उपविधि जो शासकीय गजट दिनांक 06 नवम्बर, 1999 में पंचायतीराज की विज्ञप्ति संख्या-5545/प्र0अ0(आर0ए0)/नाजिर, दिनांक 27.10.1999 एवं इस उपविधि की दरों में किये गये संशोधन की विज्ञप्ति संख्या-8234/प्र0अ0/जिला पंचायत, सहारनपुर 2006-07, दिनांक 13 सितम्बर, 2006, जिसका शासकीय गजट दिनांक 30 सितम्बर, 2006 एवं विज्ञप्ति संख्या-1861/प्र0अ0/एल0बी0सी0, दिनांक 23 जनवरी, 2010 का प्रकाशन 30 जनवरी, 2010 में हुआ था के अनुसार अभिवहन शुल्क वसूली के ठेके को दिनांक 31-03-2018 तक के लिए मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लम्बित याचिका संख्या-1112/2011 में पारित अनन्तिम आदेश दिनांक 27-03-2003 के अनुक्रम में अन्तिम निर्णयाधीन सार्वजनिक नीलाम जो दिनांक 07-02-2015 को होना है के क्रम में निर्धारित तिथि दिनांक 30-01-2015 तक किसी भी फर्म/व्यक्ति द्वारा वांछित प्रमाण पत्र जमा न करने के कारण उक्त दिनांक का नीलाम स्थगित करते हुए पुनः वांछित प्रपत्र जमा करने हेतु दिनांक 16-02-2015 सांय 5:00 बजे तक तथा पुनः नीलाम दिनांक 23-02-2015 को समय प्रातः 11:00 बजे स्थान सभाकक्ष कार्यालय जिला पंचायत सहारनपुर में किया जायेगा यदि उक्त दिनांक को भी नीलाम सम्पन्न नहीं हो पाता है, तो ठेके से सम्बन्धित प्रपत्र जमा करने हेतु दिनांक 07-03-2015 व पुनः नीलाम दिनांक 13-03-2015 को प्रातः 11 बजे सभा कक्ष कार्यालय जिला पंचायत सहारनपुर में किया जायेगा। नीलाम से सम्बन्धित शेष शरायत, स्थान व समय पूर्ववत् रहेगा। नीलाम से सम्बन्धित अन्य शर्त कार्यालय जिला पंचायत, सहारनपुर में किसी भी कार्यदिवस में देखी जा सकती है। सम्बन्धित सूचना www.saharanpur.nic.in पर डाउन लोड एवं देखी जा सकती है।

(सुनील कुमार यादव)
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, सहारनपुर

कार्यालय जिला पंचायत सहारनपुर

पत्रांक 5065 / जि0प0 / लेखा / 2014-2015

दिनांक- 05-2-2015

प्रतिलिपि:-

1. विज्ञापन व्यवस्थापक दैनिक अमर उजाला, दैनिक हिन्दुस्तान व दैनिक जागरण एवं विश्व मानव सहारनपुर को इस आशय से कि वे उपरोक्त नीलाम सूचना को अपने दैनिक समाचार पत्र में कम से कम स्थान में सामान्य छपाई में शासकीय दरों पर एक बार प्रकाशित कर समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित बिल नीलाम तिथि से पूर्व अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत करें।
2. आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
3. मा0 अध्यक्ष, जिला पंचायत, सहारनपुर की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।
4. जिलाधिकारी महोदय, सहारनपुर की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, सहारनपुर में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर को इस अनुरोध के साथ कि नीलाम तिथि दिनांक को शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) सहारनपुर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त नीलाम सूचना को सन्दर्भित साईट पर प्रदर्शित कराने हेतु सम्बन्धितों को आदेशित करने का कष्ट करे।
8. उपजिलाधिकारी, सहारनपुर, बेहट, नकुड, देवबन्द, रामपुर मनिहारान को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चरपा करने हेतु।
9. तहसीलदार सहारनपुर, बेहट, नकुड, देवबन्द, रामपुर मनिहारान को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चरपा करने हेतु।
10. अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0/सिचाई विभाग, सहारनपुर को नोटिस बोर्ड पर चरपा करने हेतु।
11. कार्यालय जनपद न्यायाधीश सहारनपुर को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने हेतु।
12. नीलाम समिति के सदस्यो अ0मु0अ0, अभियन्ता, वित्तीय परामर्शदाता को सूचनार्थ।
13. समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद सहारनपुर को सूचनार्थ।
14. नियत तिथि तक जमानत एवं वांछित कागजात जमा कराने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं/फर्मों को सूचनार्थ।
15. नोटिस बोर्ड पर चरपा करने हेतु।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, सहारनपुर

जिला पंचायत सहारनपुर मे प्रचलित ग्रामीण क्षेत्रों की नदी,नालो,पोखर आदि से रेत,पत्थर,बजरी आदि ढो रहे वाहनो को नियमित करने सम्बन्धी उपविधियों के अनुसार शुल्क वसूली के ठेके के नीलाम से सम्बन्धित शरायत नीलाम। नीलाम तिथि 23-2-2015

- 1-प्रश्नगत उपविधियों के अनुसार शुल्क वसूली के ठेके का नीलाम दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2018 अर्थात तीन वर्ष की अवधि तक के लिए किया जायेगा।
- 2-नीलाम सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की प्रत्याशा मे छोडा जायेगा।
- 3-नीलाम से पूर्व बोलीदाता को रूपये 1,00,00,000.00 (रु० एक करोड) की एफ०डी०आर० जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर द्वारा जारी की हो और अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत,सहारनपुर के पदनाम पर बंधक हो, धरोहर के रूप मे समस्त प्रपत्रों के साथ नीलाम तिथि से विज्ञप्ति में प्रकाशित तिथि तक कार्यालय जिला पंचायत मे जमा करनी होगी।
- 4-बोली बोलने वाले व्यक्ति/संस्था को रु० 2,00,00,000.00 (रु० दो करोड) का हैसियत प्रमाण पत्र एवं शासनादेश संख्या-5748/33-2-2000-190 जी/2006 दिनांक 17 नवम्बर 2006 एवं शासनादेश संख्या 4435/छ:पु-14-06-60(7)/2006 दिनांक 2 नवम्बर 2006 (कार्यालय मे देखा जा सकता है) मे निर्देशित प्रक्रिया के अनुसार जिला अधिकारी के स्वयं के हस्ताक्षर से जारी चरित्र प्रमाण पत्र,मूल निवास प्रमाण पत्र संस्था की दशा मे पंजीकरण प्रमाण पत्र मूल रूप मे नीलाम तिथि से एक सप्ताह पूर्व अर्थात दिनांक 16-2-15 तक नीलाम समिति के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराने हेतु प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का फैंक्स न०,दूरभाष न०,मोबाईल न० की जानकारी लिखित रूप मे प्रपत्र जमा करने वाले व्यक्ति/फर्म को देनी होगी। प्रपत्रों के सत्यापन के उपरान्त ही बोलीदाता को बोली देने हेतु पात्र माना जायेगा।
- 5-नीलाम समाप्ति के तुरन्त बाद उच्चतम बोलीदाता को अपनी बोली का समस्त धन मौके पर ही जमा करना होगा। यदि उच्चतम बोलीदाता नियत धनराशि जमा करने मे असमर्थ रहे तो उसका धरोहर धन जब्त करते हुए यदि नीलाम समिति उचित विचारे तो द्वितीय बोलीदाता को धन जमा कराने का अवसर दिया जायेगा। यदि वह भी धन जमा कराने मे असमर्थ रहे तो उसका धन भी जब्त कर आगे भी जहां तक नीलाम समिति उचित विचारे यही प्रक्रिया अपनायी जा सकती है।
- 6-किसी फर्म/सोसायटी/कम्पनी की ओर से बोली देने की दशा मे उसकी बोली तभी अनुमन्य होगी जबकि बोली बोलने वाले व्यक्ति के पक्ष मे फर्म,सोसायटी, या कम्पनी द्वारा वैध अधिकार पत्र जारी किया गया हों।
- 7-पागल,दिवालिया,नाबालिग अथवा अधिवक्ता (जो राज्य बार काउंसिल मे पंजीकृत हो) नीलामी मे भाग नहीं ले सकते है।
- 8-जिला पंचायत सहारनपुर के अध्यक्ष,सदस्य,कर्मचारी/अधिकारी का निकट सम्बन्धी, जो शासनादेश संख्या-6596बी/33-2-93-69जी/93 दिनांक 01.11.1993(जो कार्यालय मे देखा जा सकता है) मे परिभाषित है, नीलाम मे भाग लेने के लिए अपात्र होंगे।
- 9-बोलीदाता को नियत स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उसके द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रपत्र वास्तविक एवं सत्य हैं तथा उसके विरुद्ध कोई शासकीय देय बकाया नहीं है।
- 10-प्रपत्रों के सत्यापन के उपरान्त पात्र पाये गये व्यक्तियों/फर्म की सूची नीलाम तिथि से एक दिन पूर्व जिला पंचायत, सहारनपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जायेगी। पात्र व्यक्तियों/फर्म द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को ही नीलाम में भाग लिये जाने हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी।

11-नीलाम के दौरान यदि अप्रत्याशित बोली प्राप्त होती है तो प्राप्त बोली का पूरा अथवा आंशिक धन नीलाम के मध्य जमा कराने के उपरान्त नीलाम पुनः अनवरत रखने का अधिकार नीलाम समिति का होगा। यदि अप्रत्याशित बोली का बोलीदाता धन जमा नहीं करता तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर अन्य बोलीदाताओं के मध्य नीलाम जारी रखा जायेगा।

12-यदि उच्चतम बोलीदाता नीलाम समिति के निर्देशों के अनुसार निश्चित समयान्तर्गत अपनी बोली का धन जमा नहीं करता है और प्रथम उच्चतम एवं द्वितीय उच्चतम बोली का अन्तर अत्यधिक प्रतीत होता है तो प्रथम उच्चतम बोलीदाता की जमानत जब्त करते हुए तत्काल द्वितीय उच्चतम बोलीदाता की बोली से ऊपर नीलाम की कार्यवाही प्रारम्भ करने का अधिकार नीलाम समिति का होगा। नीलाम समिति यही प्रक्रिया तृतीय बोलीदाता की बोली तक अपना सकती है।

13-नीलाम समिति यदि उचित विचारे तो नीलाम के मध्य किसी भी बोलीदाता को उसकी बोली का समस्त धन किसी भी समय जमा कराने का निर्देश दे सकती है। यदि बोलीदाता नीलाम समिति के निर्देशों का पालन नहीं करता तो उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी और उसे नीलाम में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।

14-नीलाम स्वीकार होने पर ठेकेदार को नीलाम की धनराशि का 10 प्रतिशत धनराशि जमानत के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक/पोस्ट ऑफिस की एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रूप में एवं अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत,सहारनपुर के पदनाम पर बंधक कराकर कार्यालय में जमा करनी होगी तथा शासन द्वारा नियत मूल्य के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा जिसका समस्त व्यय ठेकेदार को वहन करना होगा। शुल्क की वसूली शासकीय गजट में प्रकाशित दरों के अनुसार ही की जायेगी।

15-ठेकेदार जिन व्यक्तियों को शुल्क वसूली कार्य में नियुक्त करेगा उनकी सूची उनके दो-दो पासपोर्ट साईज के फोटो सहित कार्यालय में अनुबन्ध पत्र के समय जमा करानी होगी। जिला पंचायत द्वारा जारी परिचय पत्र के उपरान्त ही शुल्क वसूली का कार्य किया जायेगा। शुल्क वसूली का कार्य करने वाले व्यक्तियों का राजपत्रित अधिकारी/नोटरी द्वारा जारी (जिसमें अपर मुख्य अधिकारी संतुष्ट हो) चरित्र प्रमाण पत्र भी ठेकेदार द्वारा कार्यालय में जमा करना होगा।

16-दौरान ठेका यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है एवं प्राकृतिक आपदा अथवा जिला प्रशासन या राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा यदि सम्पूर्ण जनपद में पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से खनन कार्य बंद किया जाता है तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार अथवा मा0 न्यायालय का निर्णय उभयपक्षों पर अन्तिम और बन्धनकारी होगा।

17-शुल्क वसूली के लिए ठेकेदार को आवश्यक रसीद बहियां अपने व्यय पर छपवानी/बनवानी होगी और जिला पंचायत से नियमानुसार प्राधिकृत अधिकारी के मोहर सहित हस्ताक्षर के उपरान्त ही प्रयोग में लायी जायेगी।

18-उपविधियों अथवा अनुबन्ध विलेख की शरायतों का उल्लंघन करने पर ठेके को निलम्बित या रद्द करने का अधिकार अपर मुख्य अधिकारी,जिला पंचायत सहारनपुर का सुरक्षित रहेगा और इस सम्बन्ध में होने वाली किसी भी प्रकार की हानि की क्षतिपूर्ति सम्बन्धित ठेकेदार की होगी।

19-जिला पंचायत सहारनपुर द्वारा ठेके की अवशेष धनराशि बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के भूराजस्व की बकाया की भांति वसूली प्रमाण पत्र द्वारा वसूल किये जाने का अधिकार जिला पंचायत सहारनपुर का सुरक्षित होगा।

20-यदि नीलाम में उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में उसकी उच्चतम बोली के आधार पर ठेका स्वीकार भी कर लिया गया हो और अनुबन्ध पत्र निष्पादित कर कार्यादेश भी निर्गत कर दिया गया हो अर्थात् ठेका दिये जाने के उपरान्त भी यदि उपविधियों में कोई संशोधन किया जाता है अथवा उपविधियों में उल्लिखित शुल्क की दरों में संशोधन होता है अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी भी वाहन को शुल्क मुक्त किया जाता है तो किया गया संशोधन पक्षकारों को मान्य होगा।

21-नीलाम स्वीकृति से पूर्व प्राप्त उच्चतम बोली के पश्चात यदि कोई व्यक्ति/संस्था उच्चतम बोली से अधिक धनराशि का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है तो वह प्रार्थना पत्र प्राप्त उच्चतम बोली में 25 प्रतिशत की वृद्धि के पश्चात कुल धनराशि का जिला पंचायत सहारनपुर के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट जमा करने पर ही प्रार्थना पत्र के साथ एवं नीलाम में भाग लेने हेतु पात्रता की श्रेणी के समस्त प्रपत्र अर्थात् हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र आदि जमा करने के उपरान्त ही पुनः नीलाम करने पर विचार किया जा सकता है।

22-बोलीदाता को अपने स्थाई एवं वर्तमान पते का प्रमाण पत्र दूरभाष संख्या सहित किसी भी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराकर जिला पंचायत सहारनपुर के कार्यालय में जमा करना होगा।

23-अनुबन्ध पत्र के निष्पादन में प्रयुक्त होने वाला स्टाम्प शुल्क नियमानुसार देय होगा। जिसका व्यय ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा। स्टाम्प शुल्क के सम्बन्ध में किसी भी स्थिति में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग अथवा किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय ठेकेदार पर बन्धनकारी होगा।

24-महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश शिविर, लखनऊ के पत्रांक 501/शि0क0/ल0ख0/03, दिनांक 27.02.2003 में निहित निर्देशानुसार साझीदारों की व्यक्तिगत सम्पत्ति फर्म के नाम स्थानान्तरित करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त फर्म/सोसायटी कम्पनी के प्रत्येक साझीदार का अपने अलग-अलग चरित्र प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, हस्ताक्षर का सत्यापित नमूना इत्यादि समस्त मूल प्रमाण पत्र नियमानुसार सक्षम स्तर से निर्गत ही प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

25- नीलाम की धनराशि निर्धारित समय के अन्तर्गत कार्यालय में जमा नहीं करायी जाती है तो अंकन 1000.00रु प्रतिदिन जब तक धनराशि जमा नहीं की जाती है, अर्थ दण्ड के रूप में जमा करेगा। जिसका उत्तरदायित्व स्वयं ठेकेदार का होगा।

26-यदि नीलाम में उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में उसकी उच्चतम बोली के आधार पर ठेका स्वीकार भी कर लिया गया हो और अनुबन्ध पत्र निष्पादित कर कार्यदेश भी निर्गत कर दिया गया हो अर्थात् ठेका दिये जाने के उपरान्त भी यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म के भागीदार सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों/असामाजिक कार्यों एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं, तो ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। जिसके हर्जे, खर्चे का पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।

हस्ताक्षर बोलीदाता

श्री. अ. ए. प्र. शर्मा

श्री. अ. ए. प्र. शर्मा

09.1.15

हस्ताक्षर नीलाम अधिकारी

श्री. अ. ए. प्र. शर्मा

अध्यक्ष

जिला पंचायत, सहारनपुर